भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1878

जिसका उत्तर 31.07.2025 को दिया जाना है

यातायात उल्लंघन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान

†1878. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विश्व स्तर पर यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में चालान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जाते हैं, जिसमें उल्लंघनों की तस्वीरें लेने के लिए कैमरे लगाए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के श्रेणी 'क' शहरों में ऐसे कैमरे लगाने में क्या प्रगति हुई है;

(ग) ऑनलाइन माध्यम से जारी किए गए चालानों की संख्या और प्राप्त जुर्माने की राशि कितनी है; और

(घ) क्या भुगतान किए गए और भुगतान न किए गए चालानों की निगरानी के लिए कोई प्रणाली मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 136 (क) ने राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों, सड़कों या किसी राज्य के किसी भी शहरी नगर, जिसकी आबादी सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है, में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, सरकार ने देश में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और नगरों में महत्वपूर्ण जंक्शनों पर अधिक जोखिम वाले और उच्च सघनता वाले गलियारों में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए अगस्त, 2021 में केंद्रीय मोटर यान नियमावली (सीएमवीआर), 1989 के अंतर्गत नियम 167क प्रकाशित किया है।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 136क के अनुसार सीएमवीआर के नियम 167क के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। हालांकि, राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार ने पूंजी निवेश 2025-26 के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई 2025-26) के अंतर्गत सड़क सुरक्षा के इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को

प्रोत्साहन हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके लिए पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर 3,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

देश के श्रेणी 'क' शहरों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ई-प्रवर्तन उपकरणों की संस्थापना का विवरण केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में ई-चालान प्रणाली, एक वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित की है। यह प्रणाली राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों को मोबाइल ऐप के माध्यम से मौके पर ही चालान प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक करने की अनुमति देती है, जिसमें आसान यूजर इंटरफेस, पिछले अपराध, वाहन और लाइसेंस की जानकारी, प्रासंगिक अधिनियमों और धाराओं की त्वरित खोज विकल्प, जीपीएस लोकेशन, फोटोग्राफिक साक्ष्य और इन-बिल्ट चालान प्रिंटिंग सुविधा को कैप्चर करने की उन्नत विशेषताएं शामिल हैं। इसके अलावा, यह प्रणाली सीसीटीवी/एएनपीआर (स्वचालित नंबर प्लेट रीकॉग्निशन) कैमरों, स्पीड गन, ओएसवीडी (ओवर स्पीड उल्लंघन का पता लगाने), आरएलवीडी (लाल बत्ती उल्लंघन का पता लगाने) और अन्य उन्नत कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) उपकरणों के माध्यम से यातायात उल्लंघनों का पता लगाने की सुविधा भी प्रदान करती है।

ई-चालान सिस्टम के रिपोर्ट एप्लिकेशन में डैशबोर्ड के माध्यम से भुगतान किए गए और भुगतान न किए गए चालानों की निगरानी की जा सकती है। इस एप्लिकेशन का यूआरएल https://echallan.parivahan.gov.in/echallanreport है।

डैशबोर्ड के अनुसार, दिनांक 29.07.2025 तक, कुल 35.79 करोड़ चालान जारी किए गए, जिनकी राशि 53,715.34 करोड़ रुपए थी। इनमें से 13.65 करोड़ चालान का निपटान किया जा चुका है, जिससे ऑनलाइन भुगतान सहित विभिन्न माध्यमों से 20,027.70 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, पोर्टल संबंधित प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा चालान की समीक्षा और निपटान हेतु शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी प्रदान करता है। नागरिकों को सक्षम न्यायालय में चालान जारी करने को चुनौती देने की स्वतंत्रता है और ऐसे मामलों का निपटान न्यायालयों द्वारा किया जाता है।

*****